रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
*Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2020 दिनांक : 04.03.2020

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2020

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : मकान किराया भत्ता प्रदान किये जाने के लिए मथुरा-वृन्दावन नगर निगम को 'वाई' श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत करने के सम्बंध में।

Sub : Re-classification of Mathura-Vrindavan Municipal Corporation as 'Y' class city for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) - regarding.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/4/2018-E.II (बी), जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रसारित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 2/4/2018-E.II (B) dated 25.02.2020 on the above subject, which is available on the website of MoF(DoE), is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

संलग्नक: यथोपरि

(राजीव रंजन कुमार)
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा०)

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4।
2. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
3. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी।
5. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
6. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
7. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

(विजय रैना)
व० लेखा अधिकारी(प्रशा)

सं.2/4/2018-ई.II (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

25, फरवरी, 2020

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को 'वाई' श्रेणी शहर में पुनर्वर्गीकृत करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए 2011 की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर शहरों का पुनर्वर्गीकरण/उन्नयन करने से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 21.07.2015 के का.ज्ञा. सं. 2/5/2014-ई II (बी) की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 12.05.2017 की अधिसूचना सं. 1799/9-7-17-8(सीमा विस्तार)2016 के द्वारा मथुरा नगर निगम और वृंदावन नगर निगम को जोड़ने और मथुरा-वृंदावन नगर निगम का गठन करने के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इसलिए, मथुरा-वृंदावन नगर निगम, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 'वाई' श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गीकरण का पात्र बन गया है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम को यहां तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 'वाई' श्रेणी के शहर/कस्बे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3. ये आदेश 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे।

4. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र सेना कार्मिकों और रेल कर्मचारियों के लिए क्रमशः रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 3276

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि।

मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को प्रति (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

62

No. 2/4/2018-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

Dated, the 25th February, 2020
North Block, New Delhi

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Re-classification of Mathura-Vrindavan Municipal Corporation as 'Y' class city for the purpose of grant of House Rent Allowance (HRA) – regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Ministry's O.M. No.2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015 regarding re-classification/upgradation of cities on the basis of the population figures of 2011 census for the purpose of House Rent Allowance to the Central Government employees and to say that consequent upon combining of Municipal Council of Mathura and Municipal Council of Vrindavan and constitution of Mathura-Vrindavan Municipal Corporation vide Notification No.1799/9-7-17-8(Seema Vistar)/2016 dated 12.05.2017 of the Government of Uttar Pradesh, resulted in increase in population and hence, Mathura-Vrindavan Municipal Corporation qualifies for classification as 'Y' class city/town for the purpose of grant of House Rent Allowance to the Central Government employees.

2. It has been decided that Mathura-Vrindavan Municipal Corporation shall stand classified as 'Y' class city/town for the purpose of grant of House Rent Allowance to the Central Government employees posted there.

3. These orders shall be effective from **1st March, 2020**.

4. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.